

## 316097 - कंपनी उन्हें काम के लिए जूते खरीदने के लिए पैसे देती है। क्या उसके लिए उन जूतों को रख लेना या उन्हें बेच देना और उनकी जगह पर पुराने जूतों का इस्तेमाल करना जायज़ है?

### प्रश्न

मैं दो साल से एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे काम के लिए विशिष्ट जूते खरीदने के लिए एक राशि दी। यह उन सभी के साथ होता है जो इस कंपनी के साथ काम करना शुरू करते हैं। मैंने ये जूते नए खरीदे और कंपनी को उसका बिल दे दिया, लेकिन मैंने भविष्य में उपयोग करने के लिए वे जूते घर पर रख दिए, ताकि वे जल्दी से विनष्ट (खराब) न हों और मैंने काम करने के लिए उन्हीं आवश्यक विवरण के साथ अन्य व्यक्तिगत जूते ले आए, लेकिन वे पुराने हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या इन नए जूतों को बेचना और उनके पैसों का उपयोग करना या उन्हें निजी उपयोग में लाना जायज़ है, जबकि मैं काम करने के लिए उसकी जगह पर दूसरे जूते उपयोग कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है? अगर, भविष्य में, कंपनी पुराने काम करने वाले लोगों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, नए जूते खरीदने के लिए पैसे देती है, क्योंकि काम के जूते कुछ अवधि के बाद खराब हो जाते हैं, तो क्या मैं उस पैसे का उपयोग कर सकता हूँ, या मुझे उस पैसे को नहीं लेना चाहिए? ज्ञात रहे कि मेरे निजी जूते, जो मैंने नए खरीदे गए जूते के बजाय काम के लिए पहने थे, हो सकता है कि वे खराब हो जाएँ या अच्छी स्थिति में बरकरार रहें।

### विस्तृत उत्तर

सर्व प्रथम :

यदि कंपनी कर्मचारी को काम पर उपयोग होने वाली किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे देती है, तो उसे इस बात का अधिकार नहीं है कि वह उस चीज़ को खरीदकर अपने घर पर रख ले और उसके बजाय किसी और चीज़ का उपयोग करे; क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक उपहार (हिबा) नहीं है; बल्कि यह एक सशर्त उपहार है। इसलिए इसका उपयोग निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

शैख ज़करिया अल-अनसारी रहिमहुल्लाह की पुस्तक “असनल-मतालिब” (2/479) में आया है :

“(यदि वह उसे कुछ दिरहम (पैसे) देता है और कहता है कि अपने लिए) इसके द्वारा (एक पगड़ी खरीदो, या इसके द्वारा स्नानगृह में प्रवेश करो) या इसी तरह की अन्य चीज़ें, तो प्रदाता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए (ऐसा करना निर्धारित हो जाता है) यह उस स्थिति में है (अगर उसका उद्देश्य) पगड़ी के द्वारा (उसके सिर को ढँकना तथा) उसके स्नानगृह में प्रवेश करने के द्वारा (उसे साफ-सुथरा करना हो) क्योंकि उस पैसे देने वाले ने उसे नंगे पाँव तथा अस्वच्छ और मैले-कुचैले शरीर वाला देखा था (अन्यथा) अर्थात् अगर उसका मतलब यह सब नहीं था, इस प्रकार कि उसने उसे सामान्य बेतकल्लुफी में कहा था (तो ऐसा नहीं है) यानी तो उसी उद्देश्य के

लिए उपयोग करना निर्धारित नहीं होगा, बल्कि वह उस धन का मलिक बन जाता है या वह जिस तरह चाहे उसमें कार्रवाई कर सकता है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

शेख सुलैमान बिन उमर अल-जुमल रहिमहुल्लाह ने कहा : “अगर वह उसे कुछ खजूरें देता है ताकि वह उनके साथ अपना रोज़ा इफ़्तार करे, तो जो बात प्रत्यक्ष होती है उसके अनुसार उसके लिए ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है। अतः देने वाले की मंशा को देखते हुए, उसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करना जायज़ नहीं है।”

“हाशियतुल-जुमल अला शर्ह अल-मनहज” (2/328) से उद्धरण समाप्त हुआ।

शेख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने कहा : “इस मामले से संबंधित हमारे निकट नियम यह है कि : जिसने किसी विशिष्ट चीज़ के लिए लोगों से धन लिया, तो वह उनकी अनुमति लेने के बाद ही उसे किसी अन्य चीज़ पर खर्च करेगा।”

“अल-लिक्रा अश-शहरी” (4/9) से उद्धरण समाप्त हुआ।

इसके आधार पर, आपने ऐसा करके गलती की है। आपको नए जूते का उपयोग काम के दौरान करना चाहिए, सिवाय इसके कि कंपनी उसके अलावा में उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दे।

दूसरी बात :

यदि कंपनी उन लोगों को अन्य जूते खरीदने के लिए पैसे देती है जो उससे पहले ले चुके थे, तो उन लोगों के लिए उसे लेने में कुछ भी हर्ज (आपत्ति) नहीं है जो इसे लेने के लिए शर्त पूरी करते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले जूते के खराब हो जाने की शर्त लगाई हो, या नए जूते के लिए आवश्यकता की शर्त लगाई हो।

यदि उन्होंने किसी भी शर्त को निर्धारित नहीं किया है, बल्कि उन्होंने केवल यह ध्यान में रखा है कि अवधि बीतने पर पहला जूता अनुपयुक्त हो जाता है, तो आपके लिए पैसे लेने और नए जूते खरीदने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, भले ही आपका पहला जूता, आपकी पहली गलती को सुधारने और उसे काम के लिए उपयोग करने के बाद भी, अच्छी स्थिति में हो।

ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए पश्चाताप करने और काम पर जूते का उपयोग करने से अधिक कुछ भी आवश्यक नहीं है। अतः यदि वह अच्छी स्थिति में बरकरार रहता है, तब भी नए जूते खरीदने के लिए फिर से पैसे लेने में कुछ भी गलत नहीं है, जब तक कि पहले जूते के खराब होने की शर्त न लगाई गई हो।

और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।